न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 111/2012

1. हेमराज पुत्र
2. जगदीश पुत्र
3. मोरपाल पुत्र
4. छोटूलाल पुत्र
5. संतोष बाई पुत्री
6. ग्यारसी बाई पुत्री
7. बसंती बाई बेवा

} स्व0 भैरूलाल जाति माली निवासी वार्ड नं0 1 सीसवाली तह0 मांगरोल

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. बरजंगा पुत्र नारायण जाति माली निवासी सीसवाली (मृतक)
   - 1/1 लटूरलाल पुत्र
   - 1/2 प्रेम बाई पुत्री
   - 1/3 छोटी बाई बेवा

   } बजरंगा जाति माली निवासीगण सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
2. मथुरा पुत्र नारान जाति माली निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
3. बिशना पुत्र डाल्या माली निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल (मृतक)
   - 3/1 मंजू बाई पुत्री बिशना माली निवासी सीसवाली
4. जानकी लाल पुत्र डाल्या माली निवासी वार्ड नं0 2 सीसवाली तह0 मांगरोल मृतक
   - 4/1 रमेश पुत्र
   - 4/2 महेश पुत्र
   - 4/3 गुड्डी पुत्री
   - 4/4 ग्यारसी बेवा

   } जानकी लाल माली निवासी वार्ड नं0 2 सीसवाली तह0 मांगरोल
5. किशोर पुत्र देवा जाति माली निवासी वार्ड नं0 1 सीसवाली तह0 मांगरोल मृतक
   - 5/1 मदनलाल पुत्र
   - 5/2 गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र
   - 5/3 बाबूलाल पुत्र
   - 5/4 कन्या बाई पुत्री

   } स्व0 किशोरजी माली निवासी वार्ड नं0 1 सीसवाली
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 पूजा सक्सेना (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री हरिओम प्रजापति
वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 13.07.2012 निर्णय दिनांक : 27.01.2020

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट पेश करके कथन किया कि कस्बा सीसवाली तह0 मांगरोल में वादीगण

एवं प्रतिवादीगण के शामलती खाता संख्या 1016 में किता 15 रकबा 0.93 है0 आराजी स्थित है आराजी का वर्णन वाद पत्र की मद नं0 1 में किया हुआ है जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2065–69 में दर्ज हो रहा है। वादीगण ने आगे कथन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादीगण का भी 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीगण, वादीगण को उनके हिस्से 1/2 पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त नही करने देते है। आये दिन लडाई झगडा करते रहते है। इस लिए वादीगण का 1/2 हिस्सा पृथक खाता किया जाकर पृथक से वादीगण के खाते में दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप नही करें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से वकील महेन्द्र हाडा ने जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करके निवेदन किया कि जमाबंदी रेकार्ड सम्वत 2010–13 वाके ग्राम सीसवाली में वादीगण का हिस्सा 1/4 है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 4 ता 6 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी क्रम 7 का हिस्सा 1/4 है। लेकिन दौराने सेटलमेंट वादीगण के पिता भैरूलाल का हिस्सा 1/4 से 1/2 कर दिया गया जो कि सहवन से हो गया है। मौके पर सभी सहकाश्तकार अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त है। और न्यायालय से निवेदन किया कि वाद वादीगण खारिज फरमाया जावें तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करके वादीगण का हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण का हिस्सा भी 1/4–1/4 किये जाने का आदेश प्रदान करें।

पत्रावली जवाब उल जवाब वादीगण ने पेशी में चल रही थी लेकिन वादीगण ने दिनांक 06.08.2018 को वाद वादीगण अधम पैरवी अधम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया इससे पत्रावली में सिर्फ काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण का ही रह गया है। न्यायालय को काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण के बारे में ही निर्णय पारित करना है। दिनांक 20.01.2020 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायायल में पेश करके कथन किया कि प्रकरण में राजस्व रेकार्ड हिस्से ही सही कराना है। इसलिए रेकार्ड देखकर हिस्से सही कर दिये जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने शामिल मिशल किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 मदनलाल, डीडब्ल्यू 2 मथुरालाल, डीडब्ल्यू 3 रमेश चन्द्र, डीडब्ल्यू 4 महेश कुमार, डीडब्ल्यू 5 लटर लाल के बयान करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर ग्राम सीसवाली, प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर ग्राम सीसवाली, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2010–13, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015–24, प्रदर्श–4 इन्तकाल नं0 611 ग्राम सीसवाली, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत 2065–68 ग्राम सीसवाली, प्रदर्श–6 दावा मोहनलाल बनाम नन्दुबाई वगै0।

वकील प्रतिवादीगण श्री महेन्द्र हाडा की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श करवाये गये सभी दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन किया गया। तथा बयान प्रतिवादीगण को ध्यानपूर्वक पढा गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायालय का ध्यान प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2010–13 की ओर दिला कर बताया कि भैरू, जानकीलाल वली माता भूरी बेटे जगन्नाथ हिस्सा 1/4 बजरंगा, चतरा, मथुरा वलि माता नन्दु पुत्र नारायण हिस्सा 1/4 डाल्या हिस्सा 1/4 किशोर हिस्सा 1/4 आगे अपनी बहस में बताया कि वादीगण भैरू के पुत्र एवं पुत्रिया होने से हिस्सा 1/4 है। प्रतिवादी कम 1/1 ता 1/3 व प्रतिवादी कम 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 3/1, 4/1 ता 4/4 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी कम 5/1 ता 5/4 का हिस्सा 1/4 है। जमाबंदी खाता संख्या 1016 व हाल जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 1118 के खसरा मिलान प्रदर्श 1 व प्रदर्श 3 से हो रहा है। प्रदर्श 5 में वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज हो रहा है जो गलत है जिसको 1/4 से 1/2 दौराने सेटलमेंट किया गया है जबकि जमाबंद प्रदर्श 2 के अनुसार वादीगण का हिस्सा 1/4 ही है राजस्व रेकार्ड को प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य से भलिभांति साबित किया है जिसका कोई खंडन नही है।

न्यायालय वकील प्रतिवादीगण की बहस से संतुष्ठ है तथा राजस्व रेकार्ड व बयानो को पढने के पश्चात काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार करना उचित समझती हैं। अतः काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सीसवाली के खाता संख्या 1016 हाल खाता संख्या 1118 में वादीगण 1 ता 7 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 1/1 ता 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी कम 3/1 4/1 ता 4/4 का हिस्सा 1/4 और प्रतिवादी कम 5/1 ता 5/4 का हिस्सा 1/4 दुरूस्त किये जाने का आदेश किया जाता है तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल